भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न सं0: 1069

दिनांक: 29 जुलाई, 2015

**बीपीएल श्रेणी को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने संबंधी मानदंड**

**1069. श्री अनुभव मोहंतीः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी के लोगों को एलपीजी घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) ओडिशा राज्य के पुरी, भुवनेश्वर और कटक में कितने एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ग) इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को नकद मुआवजा कैसे प्रदान किया जा रहा है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

(क) और (ख): देश में बीपीएल परिवारों हेतु एलपीजी कवरेज सुसाध्‍य बनाने के उद्देश्‍य से बीपीएल परिवारों को नियमित एलपीजी वितरकों और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरकों के जरिए नया एलपीजी कनेक्‍शन जारी करने के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान करने की एक योजना देश में चलाई जा रही है। इस योजना के अनुसार एक सिलिंडर और प्रेशर रेगुलेटर के लिए जमानत राशि (1600 रूपए तक) का भुगतान इस प्रयोजन के लिए बनाई गई निधि से किया जाता है।

 इस योजना के तहत, बीपीएल कार्ड धारक डिस्‍ट्रीब्‍यूटर से नया एलपीजी कनेक्‍शन जारी करने का अनुरोध कर सकता है। वितरक सीएसआर योजना के तहत बगैर जमारत राशि के कनेक्‍शन जारी करने के लिए अपने पास पंजीकृत बीपीएल कार्ड धारकों की एक सूची तैयार करता है और इसे अधिप्रमाणन के लिए स्‍थानीय प्रशासन को भेजता है। स्‍थानीय प्रशासन से लाभार्थियों की अधिप्रमाणित सूची प्राप्‍त होने और नया एलपीजी कनेक्‍शन जारी करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वितरक द्वारा लाभार्थियों को कनेक्‍शन जारी किए जाते हैं।

दिनांक 01-07-2015 की स्‍थिति के अनुसार, उपर्युक्‍त योजना के अंतर्गत ओडीशा राज्‍य के पुरी, भुवनेश्‍वर और कटक में ओएमसीज द्वारा बीपीएल परिवारों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्‍शनों की संख्‍या निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | आईओसी  | एचपीसीएल | बीपीसीएल |
| पुरी | 02 | 428 | 0 |
| भुवनेश्‍वर  | 573 | 327 | 251 |
| कटक | 17 | 74 | 131 |

(ग): देश में एलपीजी उपभोक्‍ता के लिए लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटीएल) योजना नामत: ‘’पहल’’ चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बीपीएल उपभोक्‍ताओं सहित उपभोक्‍ताओं को बाजार दर पर एलपीजी की बिक्री की जाती है जबकि राजसहायता उनकी हकदारी के अनुसार उनके बैंक खाते में सीधे ही जमा कर दी जाती है।

\*\*\*\*